न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, शामली।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1010/2026

पंकज पुत्र समर सिंह, निवासी गलीरा चौक 100 फुटा रोड सदर बाजार, सहारनपुर हाल निवासी पिंजोरा मल्हीपुर रोड थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

..... **आवेदक/अभियुक्त,**

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, शामली।

..... **विपक्षी,**

मु०अ०सं० 177/2026,
धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट,
थाना थानाभवन, जिला शामली।

दिनांकः–10.07.2026

1. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **पंकज पुत्र समर सिंह** की ओर से मु०अ०सं० 177/2026, अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना थानाभवन, जिला शामली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रभारी निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह रावत ह मय हमराह पुलिस बल थाना क्षेत्र में भम्रण के दौरान जानकारी मिली की अभियुक्त पंकज पुत्र समर सिंह, निवासी ग्राम पिंजोरा मलीपुर रोड कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर हाल निवासी गलीरा चौक सौ फुटा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर का एक सुसंगठित गिरोह है जिसका सक्रिय सदस्य अश्वनी उर्फ काका पुत्र श्यामलाल निवासी गलीरा चौक सौ फुटा रोड थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर है। उक्त गिरोह द्वारा आम जनता के साथ धोखाधडी करते हुए उनके एटीएम कार्ड बदलकर बैंक खातों से पैसा निकालकर धन अर्जित करने सम्बन्धी अपराध आदि घटनाओ को अंजाम दिया जाता है। उक्त गिरोह अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध कारित करता है। इनका आम जनता में भय व आतंक व्याप्त है। इनके भय के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही को तैयार नही होता है। उक्त गैंग के गैगलीडर व सदस्य का समाज में स्वतंन्त्र रहना जनहित में ठीक नहीं है। इनके द्वारा गिरोह बनाकर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु भा०द०संह० के अध्याय 16,17 में वर्णित जघन्य अपराध कारित किये गये है। इनके समाज विरोधी क्रियाकलापो पर अंकुश लगाने हेतु इनके विरुद्ध गैंगस्टर अधि० की कार्यवाही हेतु श्रीमान जिलाधिकारी शामली महोदय द्वारा गैंग चार्ट अनुमोदित किया जा चुका है। फलस्वरूप थाना पुलिस द्वारा थाना थानाभवन पर अभियुक्तगण पंकज व अश्वनी उर्फ काका के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम मामला पंजीकृत कराया गया।

3. आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत आपराधिक विवरण में सभी मु०अ०सं० में जमानत स्वीकार हो चुकी है। मु०अ०सं० 501,584,585/2025 में धारा 35(3) बी०एन०एस० के नोटिस पर छोडा जाना दर्शाया गय है।

आवेदक/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त को पुलिस झूठे मुकदमें मे जेल भेजना चाहती है। आवेदक/अभियुक्त स्थाई निवासी है उसके फरार होने का अन्देशा नहीं है। आवेदक/अभियुक्त विवेचना में सहयोग करेगा। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय या पुलिस के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसे कोई उत्प्रेरण, धमकी या वचन नहीं देगा। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना भार नहीं छोडेगा। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

5. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

6. आवेदक/अभियुक्त को कथित गैंग का गैंगलीडर होना बताया गया है। पत्रावली में संलग्न गैंगचार्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध थाना थानाभवन में मु०अ०सं० 369/2025, अन्तर्गत धारा 318(4), 315(5), 303(2) बी.एन.एस., व धारा 66C आई.टी.एक्ट., मु०अ०सं० 371/2025, अन्तर्गत धारा 318(4), 315(5), 303(2) बी.एन.एस., व धारा 66C आई.टी.एक्ट., दर्ज हैं, जिनमें आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये जा चुके हैं। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त पर चोरी, लूट करना तथा धोखाधड़ी करने जैसे संगीन मुकदमे दर्ज हैं। आवेदक/अभियुक्त के पुनः किसी अपराध में संलिप्त हो जाने की पूर्ण सम्भावना है। मामला गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गम्भीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **पंकज पुत्र समर सिंह** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(ऋतु नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, शामली।